

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1970/फाल्गुन 4, 1891
No. 59] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1970 PHALGUNA 4, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 23rd February 1970

S.O. 718.—In pursuance of clause (d) of section 280Y of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. S.O. 3419, dated the 22nd September, 1967 [published at pages 1585-1586 of Part II, Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated 22nd September, 1967], namely:—

In the Schedule to the said notification, for the word "Madras" in column (2) against Serial No. 5, the words "Tamil Nadu" shall be substituted.

[No. 21/F. No. 1(277)/69-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1970

एत० क्र० 718:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280 के खण्ड (ब) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3419, तारीख 22 सितम्बर, 1967 [भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 22 सितम्बर 1967, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) के पृष्ठ 1585-1586 पर प्रकाशित] में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ (2) में "मद्रास" शब्द के स्थान पर "तामिलनाडू" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं० 21/का० सं० 1(277)/69-टी० पी० एल०]

रामेश्वर नाथ मुट्टु, अवर सचिव ।